POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2015/अंक 06

मासिक प्रेषण दि. 8 जून, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जून, 2015 मूल्य 50 पैसे

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा

ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है। ये पत्रकार चाहे स्वतन्त्र रूप से पत्रकारिता करते हों, या फिर किसी समाचार पत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं।

इसी क्रम में इस साल 'जैविक खेती' विषय पर प्रविष्ठियाँ आमन्त्रित की गई। प्राप्त प्रविष्ठियों में से निर्णायक मंडल द्वारा आम सहमति से झुंझुनू जिले के पत्रकार सुरेन्द्र चिराना (सैनी) को वर्ष 2014 के लिए 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है।

श्री चिराना झुंझुनू स्थित गांव देवीपुरा तहसील नवलगढ़ के मूल निवासी हैं तथा प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्र दैनिक भास्कर के सीकर संस्करण में गत 8 वर्ष से बतौर एग्रीकल्चर रिपोर्टर के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 2014 में उन्होंने जैविक खेती पर बहुत सी स्टोरिया प्रकाशित कर किसानों में जागरूकता लाने का प्रयास किया है। श्री चिराना को दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार का वितरण बाद में उचित समय पर किया जाएगा।

जरूरी है पानी की सुरक्षा

वर्षा ऋतु आने वाली है। प्रदेश में पानी की सुरक्षा जरूरी है। धरती में पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रदेश के हर घर में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे, ताकि लोगों को पानी की कमी से न जूझना पड़े। जल संरक्षण के लिए बने कानूनों को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है।

सरकार को बढ़ती आबादी, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ नए नियम लागू करने चाहिए। जिससे लोग पानी की बचत करें, इसे व्यर्थ नहीं बहाए। ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में पानी की कमी कानून व्यवस्था और सामाजिक दृष्टि से एक गंभीर चुनौति बन जाएगी।

-नानग राम श्रीमाल, सीकर

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

धरातल से जुड़े मुद्दों में मेरी खास दिलचस्पी रही है। बाड़मेर जिले के समदड़ी पंचायत समिति की सिलोर पंचायत की सरपंच रेशमा कंवर का कहना है 'मैं पांच साल तक ससुराल नहीं जाउंगी। शादी से पहले सरपंच बनी हूं, सरपंच का धर्म निभाना मेरा पहला कर्तव्य है। पीहर रह कर गांव की भलाई और विकास के काम प्राथमिता से करूंगी।'

प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों में महिलाओं ने अपनी बेदाग छवि व कार्यशक्ति के बल पर पुरुषों के बीच अपना लोहा मनवाया है। क्या रेशमा भी ऐसा कर पाएगी? भले ही पुरानी मान्यताओं को लेकर हमारा समाज आज भी महिलाओं के प्रति अपनी सोच को नहीं बदल पाया हो, लेकिन पिछले कुछ दशकों से जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्था 'पंचायतीराज' में महिलाओं की भागीदारी से, ग्रामीण संरचना में काफी सकारात्मक बदलाव सामने आ रहे हैं।

इसके विपरीत कई ग्राम पंचायतों में अभी भी 'सरपंच पति' की प्रथा समाप्त नहीं हो रही। इसका खास वज़ह चुनी गई महिलाओं का शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं होना है। इसके चलते उनके पति अथवा परिवारजन गैरवाज़िब फायदा उठाते हैं।

प्रदेश में इस बार के पंचायतीराज चुनाव में जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण से इस प्रथा पर नियंत्रण संभव हो सकेगा। गांवों में काम कर रही स्वयंसेवी संस्थाएं भी नए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान कर सहयोग दे सकती हैं।

अब सबका बनेगा पैन कार्ड - गांवों में लगेंगे शिविर

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की सफलता को देखते हुए सरकार जल्द इसी तर्ज पर सबके लिए पैन कार्ड अभियान शुरू करेगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगा कर पैन कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

वैसे सरकार ने पैन कार्ड जारी करने की ऑनलाइन सुविधा की भी घोषणा की है। इसके तहत 48 घंटे के भीतर आवेदक के पास पैन कार्ड पहुंच जाएगा। यह योजना जल्द शुरू होने वाली है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के मुताबिक पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को जितना हो सकेगा सरल बनाया जाएगा।

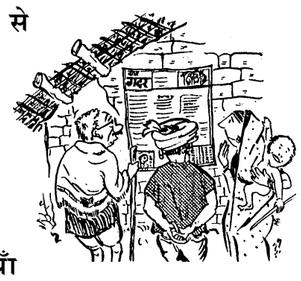

आम बजट में सरकार ने यह प्रस्ताव किया था कि एक लाख रुपए से अधिक की किसी भी खरीद-बिक्री के लिए पैन नंबर बताना अनिवार्य होगा। लेकिन इस बात को लेकर सवाल खड़े हुए थे कि इसका पालन करना सबके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है।

क्यों है पैन कार्ड का होना जरूरी?

पैन कार्ड आयकर विभाग जारी करता है, जिसमें दस अंकों की अल्फान्यूमेरिक संख्या दी होती है, जिसे पैन नंबर कहा जाता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने, एक खास मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री, वाहन की खरीददारी आदि जैसी प्रक्रियाओं में पैन कार्ड का होना अनिवार्य होता है।

इमामी कंपनी पर लगाया 28 हजार रुपए का हर्जाना

राज्य उपभोक्ता आयोग ने इमामी कंपनी की क्रीम से चेहरे पर एलर्जी व धब्बे होने के मामले में कंपनी को जिम्मेदार मानते हुए इमामी कंपनी पर 28100 रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही निर्देश दिया है कि वह हर्जाना राशि 30 दिन में अदा करें, अन्यथा उसे यह राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी।

मामले के अनुसार रूपेश सिंघवी ने जिला उपभोक्ता मंच में इमामी कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराते हुए मंच को बताया था कि कंपनी की क्रीम से उसके चेहरे पर फुंसी और धब्बे हो गए। इसके चलते उसे अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। मामले की सुनवाई पर मंच ने इमामी कंपनी की क्रीम के उपयोग से हुई एलर्जी पर उसे रूपेश सिंघवी को 3100 रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया।

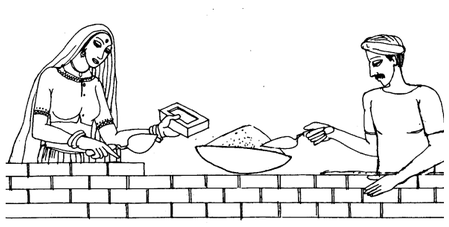

उपभोक्ता रूपेश सिंघवी ने जिला मंच द्वारा हर्जाना राशि कम दिलाने को लेकर राज्य आयोग में अपील दर्ज की। राज्य आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता मंच द्वारा इमामी कंपनी पर लगाई हर्जाना राशि 3100 रुपए को कम मानते हुए, इसे 28100 रुपए कर दिया। आयोग ने इमामी कंपनी को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता रूपेश सिंघवी को उक्त हर्जाना एक माह के भीतर अदा करें, अन्यथा इस राशि पर ब्याज भी अदा करना होगा।

नरेगा मजदूर बनेंगे कुशल श्रमिक

नरेगा मजदूरों को सौ दिन के रोजगार के बाद खाली दिनों में भी अपने हुनर के दम पर रोजगार पाने के काबिल बनाया जाएगा। उन्हें जल्द ही भवन निर्माण क्षेत्र में कुशल श्रमिक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाथ का हुनर सीखने के बाद वे ग्रामीण क्षेत्रों में खुद के स्तर पर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

केन्द्र सरकार की ओर से जारी गाइड-लाइन के बाद प्रदेश का नरेगा विभाग मजदूरों के समूह बनाकर उपलब्ध कराने का खाका तैयार करने में जुटा हुआ है। इसे केन्द्र से मंजूर कराने के बाद प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा।

अकेले बूते ग्रामीण विकास संभव नहीं

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा है कि अकेले ग्रामीण विकास मंत्रालय के बूते गांवों का विकास नहीं हो सकता। गांवों से जुड़े सभी विभाग मिलकर प्रयास करेंगे तभी गांवों की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने स्वीकार किया है कि कहीं न कहीं सिस्टम में खामियां है इसी कारण करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद गांवों का सही विकास नहीं हो पाया।

उन्होंने कहा विकास के लिए बिजली, पानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ रोजगार एवं विकास पर भी ध्यान देना होगा। यह अलग-अलग विभागों के जिम्मे है। ऐसे में सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा।

गांवों में शुद्ध पानी के दावे फेल

राज्य की 72 हजार से ज्यादा गांव-ढाणियां पेयजल की गुणवत्ता से प्रभावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी 231 ब्लॉकों में पानी की जांच के लिए जलदाय विभाग की ओर से लैब स्थापित की जानी थीं। इसके लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन निर्धारित अवधि तक महज 40 फीसदी ब्लॉकों में ही लैब खुली, जो भी स्टाफ की कमी से ना के बराबर है।

प्रस्तावित 35 करोड़ रुपए में से केवल 30 फीसदी राशि ही खर्च हो सकी और शेष अन्य कार्यों में खर्च कर दी गई। कहा यह जा रहा है कि केन्द्र ने योजना में कटौती कर दी, लिहाजा काम पूरा नहीं हो सका।

गरीबों के लिए तीन बड़ी योजनाएं शुरू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों व निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी तीन बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा है कि गरीबों को सहारे की नहीं, ताकत की जरूरत है। सरकार की इस सोच के साथ 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना', 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' और 'अटल पेंशन योजना' शुरू की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के जरिए सरकार इस तबके के लोगों को ऐसा सामाजिक सुरक्षा कवच पहनाना चाहती है जो उसे बुढ़ापे में सम्मान से जीने और जीवन में किसी भी खतरे से सुरक्षा प्रदान कर सके।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रदेश में इन योजनाओं का राज्य स्तरीय शुभारंभ करते हुए कहा ये योजनाएं गरीबों के स्वाभिमान को बढ़ाने वाली साबित होगी।

राशन वितरण पर होगी सीधी नजर

प्रदेश में गेहूं, चीनी, चावल, केरोसिन व अन्य सामग्री का वितरण रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए सभी 26 हजार 500 दुकानों को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग प्रत्येक राशन डीलर को पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन उपलब्ध कराएगा।

ऑनलाइन व्यवस्था के बाद उपभोक्ताओं के राशन दुकान से सामग्री लेने का पल-पल का रिकॉर्ड विभाग के पास उपलब्ध रहेगा। इससे वितरण व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ियां भी दूर हो सकेंगी। पहले चरण में 5000 दुकानों के लिए मशीनें खरीदी जाएंगी।

अमीरों के मुंह में गरीबों का निवाला

खाद्य सुरक्षा का लाभ अपात्र परिवार अधिक उठा रहे हैं। अकेले उदयपुर में ही करीब 25 फीसदी से भी ज्यादा अपात्र परिवार गरीब परिवारों का हक मार कर सस्ती दरों पर गेहूं उठा रहे हैं।

इसके चलते पात्र परिवारों को प्रति यूनिट 60 फीसदी गेहूं ही मिल रहा है। एक सर्वे के मुताबिक करीब 85 हजार परिवारों की पात्रता संदिग्ध बताई गई है।

जिला रसद अधिकारी हिम्मत सिंह भाटी का कहना है कि जब तक इन परिवारों को योजना से बाहर नहीं निकाला जाता, पात्र लोगों को पूरा खाद्यान्न उपलब्ध कराना मुश्किल है। वेरिफिकेशन करवा कर ऐसे परिवारों को बाहर करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

बिजली खर्च बचाएगा एलईडी बल्ब

राज्य सरकार अब घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रही है। प्रत्येक परिवार को 120 रुपए प्रति नग की दर पर सात वॉट के अधिकतम तीन बल्ब दिए जाएंगे। यह किश्तों में भी लिए जा सकते हैं। हर माह बिजली बिल के माध्यम से किश्त की वसूली की जाएगी।

हाल ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एलईडी बल्ब वितरण योजना की शुरुआत करते हुए बिजली की बचत के लिए नई तकनीकों को अपनाने पर बल दिया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 85 लाख उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। इनके उपयोग से घरों में बिजली खर्च कम आएगा, जिससे लोगों को राहत मिल सकेगी।

काला धन रखा तो अब खैर नहीं

विदेश में काला धन रखने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए लाया गया बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो चुका है। अब सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर बाकी है। इसके बाद नया कानून लागू हो जाएगा।

तब विदेश में काला धन रखने वालों को दस साल तक की जेल की सजा के अलावा 120 प्रतिशत तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जो लोग तय समय में अपनी अवैध संपत्ति बताकर बेदाग निकलना चाहते हैं उनके लिए भी बिल में दो रास्ते सुझाए गए हैं।

रोजगार के लिए बनेगा नया विभाग

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि आगामी चार साल में राज्य सरकार डेढ़ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी।

साथ ही चार लाख युवाओं को आजीविका विकास परिषद् तथा साढ़े तीन लाख युवाओं को आईटीआई के जरिए रोजगार योग्य बनाया जाएगा। रोजगार मुहैया करवाने के लिए अलग से कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग का गठन होगा।

समाप्त हो सरपंच पति प्रथा

हाल ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर पंचायतों में महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों में सरपंच पति की प्रथा समाप्त होनी चाहिए।

उन्होंने पंचायत सदस्यों से भी आग्रह किया कि वे ठोस योजनाओं और पांच साल की परिकल्पना के साथ कार्य करें, ताकि उनके गांव में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित। 'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485